उत्तरांचल शासन
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2
संख्या-186/I(2) व.ग्रा.वि./2003-10(1)/2000
देहरादूनः दिनांक 07 फरवरी, 2003

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1904) की धारा-21 के साथ पठित उत्तरांचल ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 की धारा-23 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करक श्री राज्यपाल जन साधारण के हित में, उत्तरांचल शासन, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 व अधिसूचना संख्या-98(2)/I-व.ग्रा.वि./2002, दिनांक 29 जनवरी, 2002 के क्रम में निम्नलिखि प्रजातियों के वृक्ष, जो वन या वन भूमि में स्थित वृक्षों से भिन्न हों, के गिराये जाने प दिनांक 31-12-2002 तक लगाये गये प्रतिबन्ध को, उत्तरांचल राज्य हेतु आगामी एक वर्ष क लिए अर्थात 31-12-2003 तक बढाये जाने की स्वीकृति, एतद्द्वारा प्रदान करते है. इस अवधि में निम्नांकित वृक्ष तब तक नही गिराये जायेंगे, जब तक कि वृक्ष सूख न गया हो या सू रहा हो या व्यक्ति या सम्पत्ति के लिए खतरा पैदा कर रहा हो या सरकार द्वारा अनुमोदि किसी विकास कार्य के लिए इसका गिराया जाना आवश्यक हो और ऐसे वृक्ष को गिराने लिए सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त कर ली गई हो:-

कम सं0	सामान्य नाम	वनस्पतिशास्त्रानुसार नाम
1.	अखरोट	जुगलेंस रिजिया
2.	नीम	अजेडिरैक्टा इण्डिका
3.	बांज, खिरसू, मोरू	क्यूरकस स्पेसीज
4.	साल	शोरिया रोबस्टा
5.	पीपल	फाइक्स रेलीजियोसा
6.	बरगद, बड़	फाइक्स बेंगालेन्सिस
7.	देवदार	सीड्रस देवदारा

आज्ञा से,

(गंभीर सिंह)
अपर सचिव